सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1–खाद्य कारोबारकर्ता श्री अवधेश विजय पुत्र स्व. श्री रामदेव विजय जाति महाजन निवासी ताज कॉलोनी भूतेश्वर महादेव मन्दिर के पीछे सवाई माधोपुर रोड टोंक मैसर्स अवधेश किराणा एण्ड जनरल स्टोर मोती बाग रोड टोंक

2–मैसर्स अवधेश किराणा एण्ड जनरल स्टोर मोती बाग रोड टोंक

3–प्रोपरायटर श्री घनश्याम दास पुत्र श्री फूल चन्द निवासी नजर बाग रोड बडा कुंआ टोंक प्रोपरायटर मेसर्स लखमीचन्द फूलचन्द जवाहर बाजार, बडा कुंआ टोंक

4–मैसर्स लखमीचन्द फूलचन्द जवाहर बाजार, बडा कुंआ टोंक।

5–सोल प्रोपयराटर श्री मीठा लाल जैन निवासी बडां कुआ शाहगीर्द पेशा टोंक प्रोपरायटर मैसर्स राजू लाल मीठा लाल जवाहर बाजार मोती बाग रोड टोंक

6–मैसर्स राजू लाल मीठा लाल जवाहर बाजार मोती बाग रोड टोंक

7–नॉमिनी श्री आशीष मिश्रा पुत्र श्री श्रीनिवास आचार्य मैसर्स रूचि सोया इण्डस्ट्रीज, दुकान नं. 162 कृषि मण्डी सुमेरपुर, जिला पाली राज.।

8–मैसर्स रूचि सोया इण्डस्ट्रीज, दुकान नं. 162 कृषि मण्डी सुमेरपुर, जिला पाली राज.।

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii)एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अभिभाषक अप्रार्थी सं. 3 ता 6 श्री विक्रम जैन एवं श्री रोमेन्द्र गूर्जर
अभिभाषक अप्रार्थी सं0 7 व 8 श्री अभिजीत पंचारिया, तेजमल जैन उप.।

:–<u>निर्णय</u>–: दिनांक 28.8.25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.03.2015 को समय सायं 05:30 पी.एम. पर मैसर्स अवधेश किराणा एण्ड जनरल स्टोर मोती बाग रोड टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपरायटर की हैसियत से श्री अवधेश विजय पुत्र स्व. श्री रामदेव विजय अपने प्रतिष्ठान मैसर्स अवधेश किराणा एण्ड जनरल स्टोर मोती बाग रोड टोंक जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का विक्रय करते हुए उपस्थित मिला, श्री अवधेश विजय पुत्र स्व. श्री रामदेव विजय को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री अवधेश विजय पुत्र स्व. श्री रामदेव विजय ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र नहीं होना जाहिर किया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री अवधेश विजय पुत्र स्व. श्री रामदेव विजयको फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री अवधेश विजय पुत्र स्व. श्री रामदेव विजय व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताकर कि दुकान में कागज के कार्टून में रखे 20 पॉली पैक पैकेट प्रत्येक 1 लीटर पैक में **रिफाइंड सोयाबीन तेल (महाकोष ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर बीकेडी–023 एवं पैकिंग की दिनांक जनवरी 2015 थी, को ज्यों का त्यों पैक्ड अवस्था में 1 लीटर के 4 मूल पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **रिफाइंड सोयाबीन तेल (महाकोष ब्राण्ड)** 4 मूल पैक को एक–एक पैकेट के नियमानुसार चार भाग तैयार कर, लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–899 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–899 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री अवधेश विजय पुत्र स्व. श्री रामदेव विजय जाति महाजन मैसर्स अवधेश किराणा स्टोर मोती बाग रोड टोंक ने बतौर वारन्टी मेसर्स लखमीचन्द फूलचन्द जवाहर बाजार, बडा कुंआ टोंक का एवं मैसर्स लखमीचन्द फूलचन्द ने बतौर वारन्टी मैसर्स राजू लाल मीठा लाल जवाहर बाजार मोती बाग रोड टोंक का बिल पेश किया। आवेदक द्वारा मैसर्स राजू लाल मीठा लाल जवाहर बाजार मोती बाग रोड टोंक से सम्पर्क करने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स रूचि सोया इण्डस्ट्रीज, दुकान नं. 162 कृषि मण्डी सुमेरपुर, जिला पाली राज. का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/15/1241 दिनांक 15.04.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज0 अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट संख्या एलएस/138/एक्ट/2015/135 दिनांक 12.03.2015 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी मानक प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **रिफाइंड सोयाबीन तेल (महाकोष ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **रिफाइंड सोयाबीन तेल (महाकोष ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। चूंकि अप्रार्थी सं. 1 ता 6 ने वारन्टी बिल के आधार पर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय किया है। अतः अप्रार्थी सं. 1 ता 6 को दोषमुक्त किया जाता हैं तथा अप्रार्थी सं. 7 व 8 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 7 व 8 पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार नष्ट किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/8/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोकं